न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO), बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री समदरसिंह भाटी आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 241 / 2021

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1 धुड़ाराम 2 हडुमानराम 3 गुणेशाराम 4 ठाकराराम 5 केसाराम पिसरान रूगाराम 6 चुकी पत्नी रूगाराम जाति जाट निवासी गोरसियों का तला, सरली तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर।		1 बींजाराम 2 गोसाईराम पिसरान गेनाराम 3 चम्पादेवी पत्नी गेनाराम 4 उमाराम पुत्र पन्नाराम जाति जाट निवासी भीमडा हाल गोरसियों का तला, सरली तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर 5 तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131 व 136 RLR Act.

उपस्थिति :–

1 श्री बांकाराम चौधरी, वकील प्रार्थीगण।

2 पैरोकार सरकार।

आदेश

दिनांक 25/11/22

संक्षिप्त में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की कब्जा काश्त की भूमि मौजा गोरसियों का तला पटवार क्षेत्र सरली तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खसरा संख्या 587/241 रकबा 18.08 बीघा भूमि आई हुई है। प्रार्थीगण के पूर्वज मगा पुत्र लिखमा द्वारा उक्त भूमि के मूल खसरा संख्या 241 कुल रकबा 66.19 बीघा भूमि में से 48.00 बीघा भूमि अप्रार्थी संख्या 01 से 03 के पिता व अप्रार्थी संख्या 04 के पति को उगमण की तरफ पंजीबद्ध बेचान से विक्रय कर दिया था जिस पर अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त सुपूर्द किया गया था तथा पंजीबद्ध बेचान के बाद शेष भूमि के पड़ौसान दक्षिण/आथमण में उगमण में देदा पुत्र सालू जाट का खेत उतर दिशा में सेोना पुत्र सगरामा का खेत आया हुआ है। अप्रार्थी संख्या 01 से 04 को बेचान की 48.00 बीघा भूमि नया खसरा संख्या 588/241 कायम करते हुए प्रार्थीगण के कब्जे वाली भूमि पर गलत तरमीम कर दी गई, जो तरमीम पटवारी हल्का ने बिना जांच किये कर दी। उक्त गलत तरमीम के बाद रास्ता निकलने से खसरा संख्या 588/241 के वर्तमान रकबा 46.05 बीघा भूमि है, जो तरमीम मौके के अनुसार नही है। प्रार्थीगण का आवेदन के संलग्न परिशिष्ठ 'अ' में बरंग लाल के अनुसार प्रार्थीगण का तथा बरंग हरे से दर्शाये अनुसार अप्रार्थी संख्या 01 से 04 का मौके पर कब्जा काश्त है, जिसके अनुसार ही राजस्व अधिकारियों को तरमीम की जानी थी, जिसके कारण मौके पर लठ्ठा ट्रेस में की गई तरमीम गलत है तथा तरमीम के कारण कब्जा काश्त में भारी भिन्नता है, जिस दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। लिहाजा मौजा गारसियों का तला पटवार क्षेत्र सरली तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खसरा संख्या 587/241 रकबा 18.08 बीघा भूमि व खसरा संख्या 588/241 रकबा 46.05 बीघा भूमि की वर्तमान तरमीम निरस्त की जाकर परिशिष्ठ 'ब' अनुसार तरमीम दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया है।

आवेदन दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण ईकतरफा। तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण से मौके व रेकर्ड के अनुसार मौका रिपोर्ट तलब की गई।

उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर

तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण ने पत्रांक राजस्व/2022/636 दिनांक 10.08.2022 द्वारा रिपोर्ट उपलब्ध करवा कर अंकित किया कि मौजा गोरसियों का तला पटवार क्षेत्र सरली तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खसरा संख्या 587/241 रकबा 18.08 बीघा भूमि व खसरा संख्या 588/241 रकबा 46.05 बीघा भूमि की तरमीम मौका कब्जा काश्त व रेकर्ड के निरीक्षण से वर्तमान तरमीम परिशिष्ठ 'अ' अनुसार है तथा प्रस्तावित तरमीम परिशिष्ठ 'ब' अनुसार है। बेचान दस्तावेजों के आधार पर नामान्तकरण संख्या 277 दिनांक 20.07.1973 को दर्ज किया गया, जिसमें बेचान दस्तावेजा से भिन्न तरमीम हो गई थी, जो कि वर्तमान में इसी अनुसार अंकित है। परिशिष्ठ 'ब' अनुसार तरमीम दुरूस्त की जाती है तो खसरा संख्या 587/241 व 588/241 के रकबे में कोई परिवर्तन नही आयेगा तथा दोनों पक्षों ने उक्तानुसार तरमीम दुरूस्त की जाने पर अपनी–अपनी सहमति प्रदान की है जिसके हस्तक्षर मौका फर्द पर अंकित करवाये गये। मौका फर्द के संलग्न परिशिष्ठ 'ब' प्रस्तुत किया गया, जिसे सामिल मिसल किया गया।

उभय पक्षों को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों के मद्देनजर मौजा गोरसियों का तला पटवार क्षेत्र सरली तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खसरा संख्या 587/241 रकबा 18.08 बीघा भूमि व खसरा संख्या 588/241 रकबा 46.05 बीघा भूमि की वर्तमान तरमीम अशुद्ध होने से उसे निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के मौका फर्द पर हस्ताक्षर किये है तथा उभय पक्षों को तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के संलग्न परिशिष्ठ ''ब'' के अनुसार तरमीम दुरूस्त करवाने में कोई आपति नही है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा गोरसियों का तला पटवार क्षेत्र सरली तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खसरा संख्या 587/241 रकबा 18.08 बीघा भूमि व खसरा संख्या 588/241 रकबा 46.05 बीघा भूमि में वर्तमान तरमीम निरस्त की जाकर तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द के संलग्न नक्शा परिशिष्ठ ''ब'' अनुसार तरमीम दुरूस्त की जाती है। तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द के संलग्न नक्शा परिशिष्ठ ''ब'' आदेश का अभिन्न अंग होगा। तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण तद्नुसार राजस्व अभिलेख शुद्ध करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(समदरसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर

उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 25/11/22 को सरें इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर